उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-432/2025/414के-2/22-3-25-17(971)/2021
लखनऊ: दिनांक: 27 अगस्त, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भोपाल सिंह (बन्दी संख्या-147/2017) पुत्र श्री अतल सिंह, निवासी ग्राम-किरठल, थाना-रमाला, जनपद-बागपत, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-449/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148, 452, 120बी, 429 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01, बागपत के दण्डादेश दिनांक 12.10.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, की दिनांक 05.08.2022 तक आयु लगभग 83 वर्ष होने, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा दिनांक 05.08.2022 तक 14 वर्ष 03 माह 22 दिन की अपरिहार सजा एवं 15 वर्ष 08 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगने के दृष्टिगत शेष सजा को परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बागपत के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।
5- पुलिस अधीक्षक, बागपत।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, बागपत।
7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in